



JALAUN POLICE

दिनांक – 27.08.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना नदीगाँव पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 26.08.2025 को थाना नदीगाँव पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम जुर्म जरायम, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों व वांछित अपराधी चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर ग्राम गिदवासा के पास सरकारी ट्यूबवेल से करीब 50 कदम की दूरी पर गिदवासा से जिलाबदर अभियुक्त लालता प्रसाद पुत्र मुरलीधर उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम कैमरा थाना नदीगाँव जनपद जालौन के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिलाबदर अभियुक्त लालता प्रसाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना नदीगाँव में 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

1. लालता प्रसाद पुत्र मुरलीधर उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम कैमरा थाना नदीगाँव जनपद जालौन।

अभि० लालता प्रसाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 99/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 10 गुण्डा नियंत्रण अधि० थाना नदीगाँव जनपद जालौन
- 2- मु०अ०सं० 58/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 10 गुण्डा नियंत्रण अधि० थाना नदीगाँव जनपद जालौन
- 3- मु०अ०सं० 36/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नदीगाँव जनपद जालौन
- 4- मु०अ०सं० 20/2020 धारा 504/506 भादवि थाना नदीगाँव जनपद जालौन
- 5- मु०अ०सं० 23365/2019 धारा 379/411/34 भादवि प्रान्त दिल्ली
- 6- मु०अ०सं० 72/2022 धारा 147/336/341/504/506 भादवि व 3(1) द, ध एससी/एसटी एक्ट थाना नदीगाँव जनपद जालौन

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना नदीगाँव मय पुलिस टीम।